भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1185
09 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिव उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन"

1185. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिव उद्योगों की स्थापना हेतु अतिरिक्त छूट या प्रोत्साहन प्रदान करने का है और यदि हां, तो उक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में घरेलू उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने में इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं और बैटरी बनाने वाली बड़ी कंपनियों की सहायता हेतु मौजूदा प्रोत्साहनों या नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नए विनिर्माताओं को कोई अग्रिम या प्रोत्साहन प्रदान कर रही है तथा इलेक्ट्रिक कार और बैटरी विनिर्माताओं हेतु उपलब्ध प्रोत्साहन क्या हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग) : भारी उद्योग विभाग भारत में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनेके उद्देश्य से इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीज) के अंगीकरण को बढ़ावा देने हेतु 01 अप्रैल,2015 से भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम प्रशासित कर रहा है। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 10,000 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता के साथ 01 अप्रैल,2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। यह चरण मुख्यत: सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण में सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित है और इसमें अनुदान के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों

के उपयोगकर्ताओं में रेंज सम्बन्धी चिन्ताओं के समाधान के लिए चार्जिंग अवसंरचना सृजन के लिए भी सहायता दी जाती है।

साथ ही, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतकी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1,45,980 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए 10 प्रमुख विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू करने हेतु 11 नवम्बर, 2020 को अपना अनुमोदन दिया जिसमें ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक क्षेत्र तथा उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी शामिल हैं।

ऑटोमोटिव उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। पीएलआई स्कीम से भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग और अधिक प्रतिर्स्पधी बनेगा तथा इससे भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के वैश्वीकरण में तेज़ी आएगी। एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षेत्र 21वीं सदी में वैश्विक वृद्धि की संभावना वाले उन क्षेत्रों में से है जिसमें बड़े आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं, जैसे- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय उर्जा। एससी बैटरी के लिए पीएलआई स्कीम से बड़े देशी और अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं को देश में एक प्रतिर्स्पधी एसीसी बैटरी व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिल सकेगा।

****